31-7-18 वकील प्रार्थी उपस्थित T.D.R की रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली की गई रिपोर्ट में कथन किया गया कि इजराय की पालना जरिये इन्तकाल संख्या 472 से हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर